अध्याय 9

समकालीन भारतीय समाज

भारतीय समाज एक विविधतायुक्त समाज है। हम पढ़ चुके हैं कि विविधताओं के होते हुए भी भारत में विभिन्न लोगों, जातियों और समुदायों के बीच एक अनोखी समानता एवं एकता सदैव विद्यमान रही है। भारतीय समाज एवं संस्कृति का इतिहास अति प्राचीन है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम के अनुसार भारतीय समाज भी अछूता नहीं रहा है। भारतीय समाज एक जीवन्त व गतिशील समाज है। यहाँ समाज में परिवर्तनशीलता के साथ–साथ निरन्तरता भी देखने को मिलती है। भारतीय जनमानस आधुनिकता के साथ–साथ ही अनेक परम्परागत संस्थाओं एवं मूल्यों में विश्वास करता है। इस अध्याय में हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत भारतीय समाज की समकालीन स्थिति पर चर्चा करेंगे।

विवाह, परिवार और नातेदारी

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता रहा है। किन्तु वर्तमान में इसकी प्रकृति एवं स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। विवाह एक पवित्र संस्कार से समझौते की स्थिति में आ गया है। विवाह संबंधों के स्थायित्व में कमी देखी जा रही है। हिन्दू समाज में भी तलाक का चलन प्रारम्भ होने के साथ–साथ बढ़ भी रहा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। इन परिवर्तनों के पीछे पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, बिखरते संयुक्त परिवार, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण आदि कारण माने जा सकते हैं।

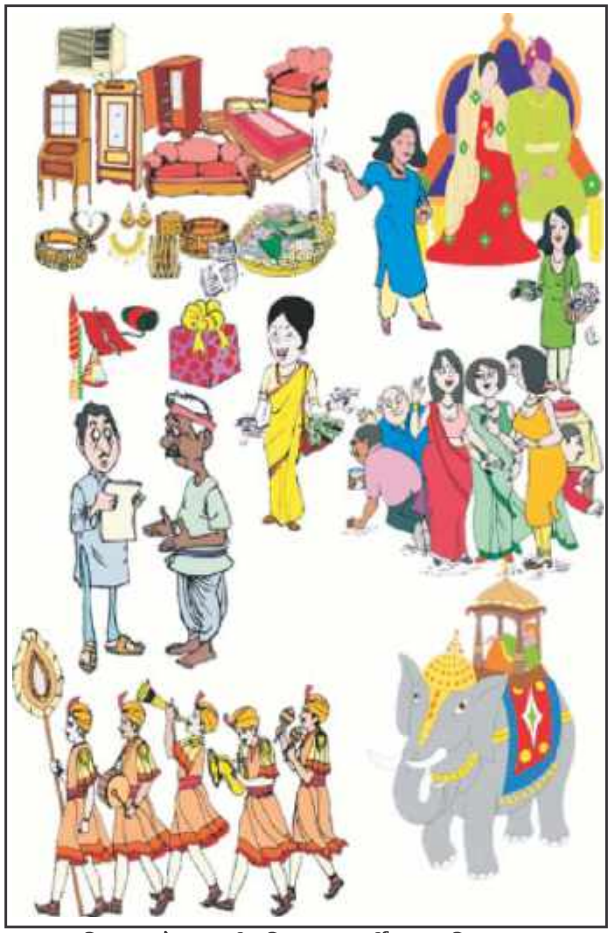

विवाह में बढ़ती फिजूलखर्ची एवं दिखावा

वर्तमान में शहरी जीवन शैली की प्रधानता बढ़ रही है। शहरी रहन–सहन ने संयुक्त परिवार के स्वरूप को कमजोर किया है। एकल और छोटे परिवारों का जोर बढ़ता जा रहा है। रिश्तेदारी संबंध सीमित होते जा रहे हैं, हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये संबंध अब भी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले अधिक निकट के बने हुए हैं। परिवार के परम्परागत कार्यों में परिवर्तन होता जा रहा है। परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर नये काम–धन्धे अपनाये जाने लगे हैं, जैसे किसान का बेटा अब खेती से अलग कार्य करने लगा है। शिक्षा प्राप्त अनेक युवक नया व्यवसाय करते हैं, जिसके अवसर प्रायः उनके पैतृक स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते हैं। फलस्वरूप वे अपने पैतृक परिवार से अलग हो

जाते हैं। बहुत से ग्रामीण युवा गाँव से शहरों में और छोटे शहरों के अनेक युवा बडे शहरों में चले जाते हैं। सामान्यतः एक बात अब भी देखी जा सकती है, वह यह है कि परिवार चाहे अलग–अलग स्थानों पर रह रहे हों, परन्तु माता–पिता तथा सगे संबंधियों के प्रति सामाजिक कर्त्तव्यों को आज भी निभाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार कार्यात्मक रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है।

अब परिवार में वरिष्ठ सदस्य के स्थान पर स्वयं निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार के सदस्य अपने पेशे, शिक्षा, मनोरंजन और राजनीतिक जीवन में अलग–अलग रूचियों के अनुसार लगे रहते हैं। शहरों में विभिन्न अवसरों पर सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए लोग जाति और रिश्तेदारी की अपेक्षा पडोसियों, परिचितों और दफ्तर के सहयोगियों पर अधिक निर्भर देखे जाते हैं।

सामाजिक प्रथाएँ

समाज से सती प्रथा का उन्मूलन हो चुका है। कानूनी प्रतिबन्ध के बावजूद दहेज प्रथा और कुछ मात्रा में बाल–विवाह प्रथा आज भी समाज में मौजूद हैं। विवाह आदि समारोहों में फिजूल–खर्ची और दिखावा बढ़ता जा रहा है, किन्तु साथ ही दूसरी ओर सामूहिक विवाह सम्मेलनों का चलन भी चल पड़ा है। अनेक परम्परावादी विश्वासों और विकार्यवादी प्रथाओं को त्याग दिया गया है। आज अनेक परम्परागत सामाजिक निषेधों को उपेक्षित किया जा रहा है। बाजार और आधुनिकता के दबाव में सामाजिक प्रथाओं ,त्योहारों और रिवाजों के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं।

गतिविधि :

1. अपने गाँव या शहर में प्रचलित सामाजिक कुप्रथाओं की सूची बनाइए।
2. परिवार या मोहल्ले के बड़े–बुजुर्गों से उनके बचपन से लेकर वर्तमान समय तक सामाजिक परम्पराओं में हुए बदलावों पर चर्चा करके एक चार्ट तैयार कीजिए।

शिक्षा, बाजारीकरण एवं उपभोक्तावाद का प्रभाव

शिक्षा ने देश के लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत किया है। अपने अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार बढ़ा है। वैज्ञानिक नवाचारों की सामाजिक स्वीकृति ने रहन–सहन के स्तर को उठाने और लोगों में भौतिक कल्याण प्राप्त करने की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकीकरण और मध्यम वर्ग के उदय से समाज के मूल्यों में परिवर्तन हुए हैं। तर्कसंगत भावना का विकास हुआ है। व्यक्तिवादिता, समानता और न्याय की विचारधाराओं का महत्त्व बढ़ा है। महिलाएँ शिक्षा और रोजगार प्राप्त करके स्वतंत्रता अर्जित कर रही हैं।

बढ़ता उपभोक्तावाद

'बाजारीकरण' विस्तृत होता जा रहा है। उदाहरण के लिए अब विवाह जैसे पारिवारिक व सामाजिक कार्य भी व्यावसायिक 'विवाह ब्यूरो' द्वारा फीस लेकर तय एवं सम्पन्न करवाने में भूमिका निभाने लगे हैं। जहाँ पहले सामाजिक कौशल और शिष्टाचार जैसे आचरण व्यक्ति को परिवार के लोगों द्वारा सिखाए जाते थे, वहीं अब व्यावसायिक संस्थान 'व्यक्तित्व सँवारने' के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। करीब चार दशक पूर्व लोग पानी के बाजारीकरण की सोचते भी नहीं थे, वहीं अब गाँवों तक में पानी की बोतल बिक्री के लिए उपलब्ध होना कोई आश्चर्य नहीं है।

समाज में बाजारवाद के दबाव में उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावादी जीवन शैली में आप अपने घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह के मनोरंजन को पसन्द करते हैं, शादी आदि समारोह किस तरह आयोजित करते हैं, वस्तु का कौनसा मॉडल उपयोग करते हैं– ये सब बातें लोगों की समाज में उनकी प्रस्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़ गयी हैं। अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना , उनका उपभोग व प्रदर्शन करना– यह लोगों की जीवन शैली बन चुकी है। संस्कृति भी बाजार का हिस्सा बन चुकी है। भारतीय संस्कृति के गौरव– योग, आयुर्वेद और पुष्कर जैसे मेलों पर बाजारीकरण के प्रभाव परिलक्षित होना इसके उदाहरण हैं।

जाति प्रथा

जाति के धार्मिक आधार समाप्त हो रहे हैं, किन्तु सामाजिक संस्था के रूप में जाति मजबूत हो रही है। राजनीतिक रूप से जातिवाद में बढ़ोतरी हुई है। जातीय संगठन मजबूत हुए हैं। वर्चस्व स्थापित करने की होड़ ने जातीय सद्भाव को ठेस पहुँचाई है। जाति चुनावी राजनीति का आधार बन गई है, जबकि प्रारम्भ में जातीय भाईचारे की भूमिका चुनाव जीतने में निर्णायक रहती थी। सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र ने उन जातियों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दी है, जिनकी जनसंख्या काफी बड़ी है। ये जातियाँ राजनीति और खेतिहर व्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं।

देश की विकासात्मक नीतियों से लाभान्वित शहरी उच्च वर्ग व उच्च मध्यम वर्ग के लिए जातीयता का महत्त्व कम हो गया प्रतीत होता है। इन्हें किसी गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। ये समाज में विशेषाधिकार प्राप्त प्रस्थिति में आ गए हैं। शिक्षित वर्ग ने अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना प्रारम्भ कर दिया है। वे व्यक्तिवाद और योग्यता को अधिक महत्त्व देते हैं। नगरीकरण और शहरों में सामूहिक रहन–सहन की परिस्थितियों ने जाति–बंधन के परम्परागत स्वरूपों को दुर्बल बनाया है। अंतर्जातीय विवाह बढ़ते जा रहे हैं। अब एक जाति विशेष में जन्मा व्यक्ति आसानी से व्यवसाय परिवर्तन कर सकता है। आधुनिक उद्योगों व तकनीकी ने नए–नए रोजगार के अवसर तैयार किए हैं, जिनके लिए इस प्रकार के कोई परम्परागत जातीय व सामाजिक नियम नहीं हैं कि फलां कार्य केवल फलां जाति वाले व्यक्ति ही करेंगे। अमीरी और गरीबी का संबंध सामान्यतः जाति से नहीं रह गया है। आज हर जाति में अमीर भी हैं, तो गरीब भी हैं। समान आर्थिक और सामाजिक आधार वाली जातियों में नजदीकियाँ आ गई हैं। अन्तर्जातीय खान–पान के निषेध कमजोर हो रहे हैं।

आधुनिक नीतियों और क्रिया–कलापों का प्रभाव जनजातीय संस्कृति, समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। जहाँ तक आरक्षण व अन्य संरक्षण प्राप्त जाति वर्गों की बात है, उनमें भी एक शिक्षित एवं

शक्तिशाली मध्यम वर्ग का उद्‌भव हो चुका है। आरक्षण की माँग बढ़ती जा रही है और इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया प्रतीत होता है।

गतिविधि :

अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों से चर्चा करके आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक विवाह समारोहों के आयोजन में आये परिवर्तनों की सूची बनाइए।

बढ़ता शहरीकरण एवं शहरी जीवन शैली

20वीं शताब्दी के आरम्भिक काल में भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 11 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी, किन्तु 21 वीं शताब्दी (जनगणना–2011) में भारत की 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहने लग गई। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्त्व घटता जा रहा है, वहीं उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली का प्रभाव समाज में बढ़ता जा रहा है। सकल घरेलु उत्पाद में कृषि का योगदान जहाँ पहले आधे से अधिक रहता था, वहीं अब यह घटकर एक–चौथाई रह गया है। अब गाँवों में रहने वाले अधिक से अधिक लोग खेती नहीं करके परिवहन–सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे खेती से भिन्न व्यवसायों को अपनाते जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग गाँव में रहते हुए भी रोजाना काम करने के लिए गाँव के नजदीकी कस्बे या शहर में जाते हैं। नकद आमदनी कमाने के अवसर गाँवों में घटते जा रहे हैं।

आधुनिक जीवन शैली से प्रभावित युवक

रेडियो, टेलीविजन, समाचार–पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधनों के जरिये ग्रामीण लोग नगरीय तड़क–भड़क और सुख–सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। बाजार की ताकतें ग्रामीण क्षेत्रों पर भी छा गई हैं। छोटे गाँव से बडे गाँव या कस्बे तथा शहर की ओर बढ़ते हुए जनसंक्रमण और टेलीविजन आदि जनसंचार के साधन निरन्तर ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की खाई को पाटते जा रहे हैं। भारतीय समाज का स्वरूप अब ग्रामीण की बजाय नगरीय होता जा रहा है।

साक्षरता संबंधी विषमता

साक्षरता शक्ति संपन्न होने का महत्त्वपूर्ण साधन है। साक्षर व्यक्तियों में आजीविका के विकल्पों के बारे में जागरूकता अधिक होती है और वे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं। साक्षरता से स्वास्थ्य के

प्रति जागरूकता आती है और समुदाय के सदस्यों की सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण के कार्यों में सहभागिता बढ़ती है।

भारत में विभिन्न सामाजिक समूहों में साक्षरता संबंधी स्थिति में बहुत भिन्नता पाई जाती है। देश में जहाँ पुरुष साक्षरता 82.14 प्रतिशत है, वहीं महिला साक्षरता 65.46 प्रतिशत ही है। जब बात राजस्थान की करें, तो यहाँ के 79.02 प्रतिशत पुरुष साक्षर है, वहीं मात्र 52.10 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं, यानी लगभग आधी महिलाएँ निरक्षर हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ साक्षरता में अधिक पिछडी हुई हैं।

गिरता लिंगानुपात

भारत इस समय विश्वभर में सबसे युवा देशों में से एक है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 60.29 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या (15 से 59 वर्ष) का है। अतः भारत के पास काफी बडा और बढ़ता हुआ श्रमिक बल है, जो समृद्धि की दृष्टि से लाभ प्रदान करता है। किन्तु दूसरी ओर विषमता की स्थिति यह है कि भारत में लिंगानुपात में भारी विषमता है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति एक हजार पुरुषों की आबादी पर 943 महिलाएँ हैं, वहीं राजस्थान में मात्र 928 ही हैं। यह स्थिति बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करती है। हालाँकि इस स्थिति के लिए उत्तरदायी एक कारण– भ्रूण के लिंग परीक्षण पर नियंत्रण व रोक लगाने के लिए कानून बनाकर इसे दण्डात्मक अपराध घोषित कर दिया गया है और लिंगानुपात में सुधार के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना एक ऐसा ही अभियान है। परन्तु इसके लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है।

यह था भारतीय समाज की समकालीन प्रवृतियों का एक विवेचन। पश्चिमी प्रभाव और विभिन्न व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण के बाद भी भारतीय संस्कृति जीवन्तता के साथ बनी रहेगी। हम अपने अतीत के प्रति गौरव का भाव लेकर, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे।

शब्दावली

शहरीकरण	–	गाँवों में रोजगार और सुविधाओं की कमी तथा शहरी जीवन शैली के आकर्षण में गाँवों से आकर शहरों में बसने की प्रक्रिया।
विकार्यवादी	–	अप्रकार्यात्मक / व्याधिकीय / नुकसानदायक।
नातेदारी	–	रक्त एवं विवाहमूलक संबंधों की व्यवस्था, रिश्तेदारी।
बाजारीकरण	–	किसी वस्तु का एक उत्पाद के रूप में रूपांतरण करना, ऐसी सेवा या क्रिया–कलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता हो।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है –

(अ) 60.29 प्रतिशत (ब) 50.21 प्रतिशत

(स) 45.01 प्रतिशत (द) 30 प्रतिशत ( )

(ii) राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर है –

(अ) 79.02 (ब) 62.15

(स) 40.12 (द) 34.12 ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(i)	पैतृक कार्यों से अलग होना	शिक्षित वर्ग
(ii)	सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना	बाजारीकरण का दबाव
(iii)	उपभोक्तावाद बढ़ने का कारण	परम्परागत व्यवसाय छोड़ना
(iv)	अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना	शिक्षा और औद्योगिकरण का प्रभाव

3. पारिवारिक एवं नातेदारी सम्बन्धों में बदलाव के कारणों पर प्रकाश डालिए।

4. ''बाजारीकरण के प्रभाव से भारतीय लोगों के रहन–सहन और जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है।''–स्पष्ट कीजिए।

5. ''भारतीय समाज का स्वरूप अब ग्रामीण की बजाय नगरीय होता जा रहा है।''–उदाहरण सहित समझाइए।

अध्याय 10

सामाजिक न्याय

आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला राजू अपने गाँव से शहर में अपनी बुआ के घर आया। वहाँ उसने पडोस के एक मकान में अपनी उम्र के एक लड़के को देखा, जो कि उस घर के बाकी बच्चों से अलग नजर आता था। वह उदास–उदास सा रहता था और कभी खेलता भी नहीं था। न ही वह विद्यालय में जाया करता था। वह घर के बाकी सदस्यों के काम करने में ही लगा रहता था। सभी उस पर हुक्म चलाते रहते थे और डाँटते–फटकारते भी रहते थे। वह घर के लोगों के जूते पॉलिश करता, उनका नाश्ता लगाता और जब घर के बाकी बच्चों के विद्यालय जाने का समय होता, तो बाहर गाड़ी में उनके बस्ते रखवाता और उनके लौटने पर बस्ते वापस कमरे में लाकर रखता। राजू उसे ध्यान से देखता था। वह समझ गया कि वह उस घर में घरेलू नौकर था। राजू ने उस लड़के के बारे में अपनी बुआ से पूछा तो उसने बताया कि उस लड़के का नाम रामू था। वह गाँव में रहने वाले अपने गरीब माता–पिता से दूर यहाँ शहर में काम करने आया था।

हम रामू जैसे उन लाखों बच्चों की बात करें, तो हम उन्हें सड़क किनारे बने ढाबों, चाय की दुकानों, ऑटोमोबाईल वर्कशॉपों आदि स्थानों पर काम करते हुए पाते हैं। अनेक बच्चों को हम शहरों में ट्रेफिक लाइट के इर्द–गिर्द भीख माँगते हुए भी देखते हैं। रोजमर्रा के जीवन में इन बातों का इस प्रकार घटित होना इन्हें सामान्य बना देता है और लगता है कि जैसे ये सब एकदम सामान्य बातें हैं। इसे इनका भाग्य मान लिया जाता है। यह महसूस नहीं होता कि इस प्रकार के लाखों बच्चों का बचपन गरीबी में पिसता जा रहा है और ये बच्चे या तो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या फिर काम–काजी होने के कारण भली–भाँति शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

गतिविधि :

अपने गाँव या मोहल्ले के उन बच्चों के नाम व पता सहित एक सूची बनाइए जो विद्यालय नहीं जाते हैं। शिक्षकों की मदद से उन्हें विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करें।

आर्थिक असमानता

विश्व के सभी समाजों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास धन–संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होते हैं। ये संसाधन समाज के विभिन्न वर्गों में असमान रूप से बँटे हुए हैं। इस कारण से समाज में अमीरी और गरीबी होती है। समाज के कुछ वर्ग कई पीढ़ियों से साधनहीन और गरीब हैं, तो कुछ साधन–सम्पन्न और अमीर हैं। अमेरिकी समाज के अश्वेत लोगों की स्थिति इस बात का उदाहरण है कि तकनीकी रूप से उन्नत समाजों में भी यह स्थिति मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार विश्व के 20 प्रतिशत धनी लोग दुनिया के 80 प्रतिशत संसाधनों के मालिक हैं, तो 80 प्रतिशत गरीब लोग 20 प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं।

इस स्थिति को उचित या न्यायसंगत मानने वाले इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं कि समाज में गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं कि उनमें या तो योग्यता नहीं होती है या फिर वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परिश्रम नहीं करते। उनके अनुसार यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ

नहीं होते, जहाँ आज वे हैं। कुछ भाग्यवादी लोग इस स्थिति को उनके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल करार देते हैं। ऐसा मानते हुए उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराया जाता है। जबकि सत्यता यह है कि पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने पर ये वंचित लोग भी अपनी योग्यता का श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं।

अवसरों की समानता और प्रयासों की सफलता

गौर करने पर हम पाते हैं कि जो लोग समाज में गरीब हैं, वे भी कठोर परिश्रम द्वारा ही अपना जीवन बिताते हैं। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ना, खुदाई करना, भारी वजन ढ़ोना, रिक्शा या ठेला खींचना जैसे कठिन परिश्रम के काम गरीब लोग ही करते हैं। फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। समाज में निम्न समझे जाने वाले काम उनके हिस्से में आते हैं।

एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है, ''यदि केवल परिश्रम ही इतनी अच्छी चीज होती, तो अमीर लोग इसे अपने लिए ही बचा कर रखते।'' इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जीवन में परिश्रम का महत्त्व नहीं है। कठोर परिश्रम और व्यक्तिगत योग्यता महत्त्वपूर्ण है, किन्तु जब अन्य पहलु बराबर हों, तब जाकर व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयास एवं योग्यता संबंधी अभावों को गरीबी और अमीरी जैसी असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। समाज में विद्यमान अवसरों की असमानता समाज में हाशिये पर मौजूद व्यक्तियों के परिश्रम और योग्यता को निरर्थक कर देती हैं। सच यह है कि समाज में सभी चीजें समाज के सभी व्यक्तियों या समूहों के लिए एक समान नहीं हैं।

सामाजिक असमानता

सामान्य रूप से सामाजिक असमानता व्यक्तियों के बीच होने वाली सहज भिन्नता के कारण नहीं होती है। व्यक्तिगत क्षमता से इसका कोई लेना–देना नहीं होता है। यह असमानता सामाजिक है, क्योंकि यह समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। बच्चे अपने माता–पिता की जो सामाजिक प्रस्थिति (status) होती है, उसी को पाते हैं। समाज में जो अधिकार सम्पन्न होते हैं, वे दूसरों को अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें अवसरों से वंचित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक असमानता पीढ़ी–दर–पीढी कायम रहती है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक असमानताओं में एक मजबूत सम्बन्ध होता है। समाज में निचले क्रम में मौजूद वर्ग ही सबसे गरीब होते हैं। तथापि सामाजिक असमानता आर्थिक नहीं है। यह एक सामाजिक बहिष्कार है।

'सामाजिक बहिष्कार' वे तौर–तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से घुलने मिलने से रोका जाता है। उन्हें समाज में हाशिये पर रखा जाता है। ये तौर–तरीके व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं, जो अन्य व्यक्ति या समूहों के लिए खुले होते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति या समूह को समाज में हाशिये पर धकेल दिया जाता है। इस प्रकार से भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राप्त व्यक्ति या समूह अन्ततः इसे अपनी नियति मान लेते हैं और वे समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होने का प्रयास बंद कर देते हैं। इस स्थिति में जहाँ एक ओर उन व्यक्तियों को व्यक्तित्त्व के विकास के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो दूसरी ओर समाज उनकी प्रतिभा के लाभ से वंचित रह जाता है। वस्तुतः यह पूरे समाज की हानि है।

गतिविधि :

अपने गाँव या मोहल्ले तथा अन्य स्थानों पर असमानता के विभिन्न रूपों का अवलोकन करें।

पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्धता एवं भेदभाव

'पूर्वाग्रह' एक ऐसी धारणा है जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों की जाँच–परख किए केवल और केवल सुनी–सुनाई बातों पर आधारित होती है। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति नई जानकारी प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अपनी पूर्व कल्पित धारणा को बदलने से इंकार करते हैं।

'रुढ़िबद्ध धारणा' व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। रूढ़िबद्ध समाज में लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होते हैं जो कि अपरिवर्तनीय और कठोर होते हैं, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में कुछ जातियों को जरायमपेशा जातियाँ घोषित कर दिया गया था। ऐसी पूरी जाति को अपराधियों का समूह मानकर उन पर कई प्रकार की पाबन्दियाँ लगा दी गई थीं। लेकिन ऐसा सोचना कुछ व्यक्तियों के बारे में तो सच हो सकता है, परन्तु उस पूरी जाति या समूह के लिए यह सच नहीं हो सकता।

'भेदभाव' दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है, जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं, जो दूसरों के लिए खुले होते हैं। भेदभाव को न्यायोचित ठहराने के लिए भेदभाव के पीछे के मूल कारण की बजाय उसे अन्य दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित बताने का व्यवहार भी देखा जाता है।

गतिविधि :

क्या आपने कभी अपने सामाजिक परिवेश में पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार देखे हैं ? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाइए।

सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्ग

भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है, वह है– असमानता के विभिन्न स्वरूप और उसकी बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। भारत जैसे देश में रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक काल में ओर अधिक बलवती हुए। विश्व के अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा उसके बहिष्कार के विभिन्न रूप पाए जाते है।

1. भारत में जातिप्रथा का जो स्वरूप प्रचलित है, वह कुछ वर्गों के लिए अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी है। अस्पृश्यता इसका अतिवादी रूप है। जाति–व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा प्रस्थिति (status) के आधार पर वर्गीकरण करती है। हालाँकि 19वीं शताब्दी से जातिप्रथा तथा व्यवसाय के बीच के संबंध काफी ढीले हुए हैं। अब व्यक्ति के लिए व्यवसाय परिवर्तन करना आसान हो गया है, क्योंकि अब परम्परागत व्यवसाय के स्थान पर अन्य व्यवसाय अपनाने के अवसर भी उपलब्ध हैं।
2. महिलाओं के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की खबरें हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएँ अवसर की असमानता का शिकार रही हैं।
3. मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से बाधित 'विशेष योग्य जन' या 'अन्यथा सक्षम व्यक्तियों 'को भी समाज में संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज कुछ इस रीति से

बना है कि वह उनकी जरुरतों को पूरा नहीं करता।

4. भारत सहित पूरे विश्व में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की खबरें भी यदा–कदा मिलती हैं।

5. सभी तबकों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग भी समाज में हाशिये पर होते हैं।

इतिहास की विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग आदि पर आधारित भेदभावों के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, किन्तु इसके बावजूद समाज में कुछ वर्गों के प्रति पूर्वाग्रह बने रहते हैं। साथ ही अनेक नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाते हैं।

गतिविधि–

अपने परिवेश में असमानता व हाशियाकरण के शिकार समूहों की पहचान करके उनकी सूची बनाइए।

सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु प्रयास

समाज में जो सुविधाएँ और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं, वही दूसरों को भी दें, यही सामाजिक न्याय है। ऐसा होने पर समतामूलक समाज बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के विकास का अवसर मिल पाएगा। तभी समूचे समाज की प्रगति हो पाएगी। सरकार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। भारत सरकार ने देश में वंचित व पिछड़े समुदायों की पहचान कर तीन तरह की सूचियाँ बना रखी हैं। पहली सूची 'अनुसूचित जाति' की है जिसमें समाज की वंचित वर्ग की अति निम्न समझी जाती रहीं जातियाँ सम्मिलित हैं। दूसरी सूची 'अनुसूचित जनजाति' की है, जिसमें आदिवासी जातियाँ सम्मिलित हैं। तीसरी सूची 'अन्य पिछड़ा वर्ग' की है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी वे जातियाँ सम्मिलित हैं जो कि प्रथम व द्वितीय सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं। इन वर्गों को विशेष बर्ताव का पात्र माना गया है। सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पक्षों में इनके लिए कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं।

1. केन्द्रीय व राज्यों के विधानमण्डलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही इनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित कर दिये गए हैं। इसी सिद्धान्त को सरकार के अन्य विकास कार्यक्रमों और योजनाओं पर भी लागू किया गया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए लागू किए गये हैं, जबकि कुछ अन्य कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

2. समाज में जातीय भेदभाव व अस्पृश्यता को समाप्त करने और इन्हें रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम' में सन् 1989 में संशोधन कर इन वर्गों के विरुद्ध हिंसा और अपमानजनक कार्यों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक मजबूत किया गया है।

3. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ की रोकथाम के लिए भी कानून बनाकर कठोर

दण्डात्मक प्रावधान किए गए हैं। संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से जीविका प्रदान करने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देता है।

4. बालश्रम को गैरकानूनी घोषित कर प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है।

5. विशेष योग्यजनों के लिए भी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए गए हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

6. धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति , भाषा व लिपि को बनाए रखने का संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए वे अपने शैक्षिक संस्थान भी खोल सकते हैं।

कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। इसके लिए जागरूकता एवं संवेदनशीलता युक्त सतत् सामाजिक अभियान की आवश्यकता है।

शब्दावली

औपनिवेशिक काल	–	वह समय जब भारत को दूसरे देश से आए हुए लोगों (ब्रिटिश) ने अपने अधीन करके शासन किया।
अस्पृश्यता	–	छुआछूत
अल्पसंख्यक	–	जनसंख्या में धार्मिक व भाषायी रूप से छोटा समूह
हाशिया	–	मुख्य धारा से अलग–थलग, समाज का वह भाग जो सत्ता और संसाधनों की पहुँच से दूर है।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है–

(अ) परिश्रम का अन्तर (ब) योग्यता का अन्तर

(स) अवसरों की असमानता (द) प्रयासों का अन्तर ( )

(ii) अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है–

(अ) पूर्वाग्रह (ब) रूढ़िबद्धता

(स) भेदभाव (द) उपर्युक्त सभी ( )

(iii) सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है–

(अ) व्यक्ति की (ब) समाज की

(स) सरकार की (द) उपर्युक्त सभी की ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
(i)	वंचित वर्ग की जातियाँ	अन्य पिछड़ा वर्ग
(ii)	आदिवासी जातियाँ	अल्पसंख्यक
(iii)	सामाजिक,आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी अन्य जातियाँ	अनुसूचित जन जाति
(iv)	जनसंख्या में धार्मिक व भाषायी रूप से छोटा समूह	अनुसूचित जाति

3. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(i) .....जाति प्रथा का अतिवादी रूप है।

(ii) अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं को ..... .कहते हैं।

(iii) विश्व के 80 प्रतिशत गरीब लोग केवल..... प्रतिशत संसाधनों के सहारे अपना जीवन बिताते हैं।

4. समाज में आर्थिक असमानता के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए।

5. सामाजिक बहिष्कार क्या है ? इसके क्या प्रभाव होते हैं ?

6. भारत में सामाजिक असमानता से ग्रस्त वर्गों की जानकारी दीजिए।

7. सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 11

विकास की अवधारणा

रजत आज बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा है क्योंकि वह आज अपने मित्रों के साथ जयपुर घूमने जा रहा है। जयपुर में उसके बचपन का मित्र रवि भी रहता है जिससे वह बहुत दिनों बाद मिलने वाला है। जयपुर आकर रजत शहर की चकाचौंध देख अवाक् रह गया।

शॉपिंग मॉल

जयपुर की चौड़ी–चौड़ी सुन्दर सड़कें, बिजली की रोशनी से जगमग ऊँची गगनचुम्बी इमारतें, परिवहन हेतु सिटी बसों की उत्तम व्यवस्था, खेलकूद के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम, हवामहल की भव्यता, साँगानेर एयरपोर्ट , सिटी मॉल , मेट्रो ट्रेन आदि को देखकर रजत अचम्भित हो गया। उसके मित्र रवि ने बताया कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क को देखने शाम को चलना है।

रजत गहरी सोच में डूब गया, रवि के झिंझोड़ने पर उसने बताया कि उसके गाँव की सड़क तो टूटी–फूटी है, जिसमें बड़े–बड़े गड्डे हैं, बिजली कभी–कभी ही आती है, पानी के लिये नल नहीं लगे हुए हैं, बल्कि कुँओं से खींचकर पानी लाना पड़ता है। शहर जाने हेतु एकमात्र बस है। गाँव के एकमात्र विद्यालय का भवन पुराना व जर्जर है। स्वास्थ्य केन्द्र पर मात्र एक नर्स उपलब्ध है। उसके मन में बार –बार यह प्रश्न कौंध रहा था कि आखिर गाँव व शहर में यह भारी अन्तर क्यों है ?

रवि के पिता, जो कि जयपुर के एक विद्यालय में प्रधानाचार्य है, उन्होंने दोनों को समझाया कि इस अन्तर का कारण विकास है। शहरी क्षेत्रों में विकास तीव्र गति से हुआ है, शहर के नजदीक स्थित गाँवों में भी विकास हुआ है, जबकि दूरदराज के गाँव में विकास की गति धीमी है। विकास के स्तर में यह अन्तर गाँव व शहर के बीच खाईं पैदा कर देता है। यह अन्तर देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न महानगरों , विभिन्न राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच भी विकास सम्बन्धी अन्तर दिखाई देता है।

आज विश्व के देशों को आर्थिक दृष्टि से दो भागों में बाँटा जाता है– विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जहाँ आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। यहाँ औद्योगिक विकास तीव्रगति से होने के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है और भौतिक सुख–सुविधाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इंग्लैण्ड, अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड, जापान आदि देश इस श्रेणी में आते हैं।

विकासशील देशों में इसके विपरीत अवस्था दिखाई देती है। इन देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है, विकास की गति धीमी है, आवश्यक वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इनमें से अधिकतर देश पहले किसी विकसित देश के अधीन रहे हैं। विदेशी शासन के दौरान हुए शोषण से इन देशों में आर्थिक पिछड़ापन विद्यमान है। अपने पिछड़ेपन से उबरने

के लिये ये देश प्रयत्नशील हैं, इसलिए इन्हें विकासशील देश कहा जाता है। भारत, ब्राजील, इन्डोनेशिया आदि देश इस श्रेणी में आते हैं।

गतिविधि–

अपने शिक्षक की सहायता से विकसित एवं विकासशील देशों के 5–5 नामों की सूची बनाइए।

आर्थिक विकास

विकसित और विकासशील देशों के अन्तर से हम आर्थिक विकास के अर्थ को समझ सकते हैं। परम्परागत धारणा में आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद 5 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता रहे। इसके साथ ही उत्पादन व रोजगार संरचना में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उसमें कृषि का हिस्सा कम हो जाये और विनिर्माण क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाये। अर्थात् कृषि के स्थान पर औद्योगिकीकरण की गति को तेज किया जा सके।

वर्ल्ड ट्रेड पार्क,जयपुर

किन्तु समय के अनुसार आर्थिक विकास की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया गया है। विकास की नवीन अवधारणा में आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का निवारण रखा गया है। अतः अब यह माना जाने लगा है कि यदि देश में गरीबी के स्तर में कमी आ रही हो, बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा हो तथा आर्थिक असमानताएँ कम हो रही हों, तो निश्चित ही देश का आर्थिक विकास हो रहा है।

यहाँ आर्थिक विकास की भारतीय अवधारणा को समझना भी आवश्यक है। विकास की भारतीय अवधारणा के अनुसार देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का आवश्यकतानुसार दोहन करते हुए और राष्ट्रहित में उनको उपयोग में लाते हुए देश की आर्थिक संरचना और प्रौद्योगिकी में आवश्यक परिवर्तन लाना जिससे उत्पादन, आय और रोजगार में वृद्धि हो तथा लोगों को उपयुक्त व उत्तम जीवन स्तर प्रदान किया जा सके। प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अमर्यादित उपयोग करना राष्ट्रहित में नहीं है। प्रकृति को ईश्वर का अमूल्य उपहार मानकर उससे आवश्यकतानुसार वस्तुएँ प्राप्त कर संयमित उपयोग द्वारा जीवनयापन करते हुए राष्ट्र को वैभव सम्पन्न बनाना ही राष्ट्रहित है।

आर्थिक विकास को सफल बनाने के लिये आज हर देश प्रयास कर रहा है। विश्व के विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास की होड़ लगी हुई है। विकासशील देशों में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी व आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिये आर्थिक विकास आवश्यक भी है। दुनिया से भय, भूख और भेदभाव की समाप्ति और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी आर्थिक विकास आधुनिक युग की

सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। आर्थिक विकास का सम्बन्ध पिछड़े हुये देशों से भी है, जहाँ पर साधनों का विकास एवं उपयोग नहीं हुआ है।

विकास के आर्थिक सूचक

किसी राष्ट्र के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित तीन आर्थिक सूचक काम में लिए जाते रहे हैं– स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वर्तमान में विकास को 'मानव विकास सूचकांक' द्वारा मापा जाने लगा है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा एवं व्यक्ति की क्रय शक्ति को प्रमुखता दी जाती है, अर्थात् लम्बा एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा एवं शैक्षिक योग्यताओं में अभिवृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि किसी भी देश के मानव विकास को दर्शाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) सन् 1990 से प्रति वर्ष इन मानव विकास सूचकांकों के आधार पर वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है जो वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की मानवीय विकास की स्थिति को प्रकट करती है।

मानव विकास सूचकांक 2014

मानव विकास सूचकांक वरीयता (Rank)	देश का नाम	मानव विकास सूचकांक मूल्य (Value)
1	नार्वे	0.944
2	ऑस्ट्रेलिया	0.933
3	स्विट्जरलैण्ड	0.917
4	नीदरलैण्ड	0.915
5	संयुक्त राज्य अमेरिका	0.914
135	भारत	0.586

समावेशी विकास

समावेशी विकास में समाज के सभी वर्गों को विशेष कर वंचित, पिछड़े एवं सीमान्त वर्गों को साथ लेकर विकास किये जाने पर बल दिया जाता है। विकास का होना तभी माना जायेगा जब उसका लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। समावेशी विकास में गरीबी की दर को नियंत्रित एवं विकास की गति को तेज कर विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। सरकार की योजनाओं का मुख्य लक्ष्य समावेशी विकास ही होता है।

सतत या धारक विकास

सतत विकास

आर्थिक विकास एक विस्तृत व सतत धारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से सम्बन्धित है। सतत विकास से तात्पर्य

विकास की उस प्रक्रिया से है जिस में भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। सतत विकास को 'धारक विकास' भी कहा जाता है।

सतत विकास की अवधारणा के विकसित होने के पीछे अनेक कारण हैं। आज विकास के परिणामस्वरूप हुए पर्यावरण प्रदूषण ने भी हमें विकास की परिभाषाओं को बदलने पर मजबूर कर दिया है। विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने आज हमारे सामने बड़ी भारी समस्या खड़ी कर दी है। यदि हम अपने राज्य में देखें तो खनिजों व भूमि के लालच में अरावली व वन क्षेत्रों को काफी नुकसान पहुँचाया गया है। परिवहन मार्ग बनाने के नाम पर पर्वतों को काटा जा रहा है जिसका परिणाम हमें घटते खनिज संसाधन और मानसून की अनियमितता के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

धरती से अधिक अन्न उपजाने हेतु हमने उसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के रूप में जहर घोल दिया है जिससे कई क्षेत्रों में भूमि बंजर व दूषित हो गई है। इससे भूमि से उत्पन्न खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाते हैं। उनके उपभोग से मानवीय स्वास्थ्य पर तथा पशुओं पर बुरा असर पड़ता है। वे कई प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं।

जल के अंधाधुंध प्रयोग ने कई क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल के घटते स्तर व लवणीय जल जैसी गम्भीर समस्याओं को जन्म दिया है। परिवहन साधनों, रेफ्रीजरेटर एवं एयरकण्डीशनर के अत्यधिक प्रयोग से हानिकारक गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन ने वायुमण्डलीय प्रदूषण व ओजोन परत में छेद जैसी मुसीबतें खड़ी कर दी है।

अतः आवश्यकता आज की इस उपभोगवादी संस्कृति पर अंकुश लगाने और संसाधनों के कुशल व अनुकूल दोहन की है ताकि विकास की प्रक्रिया अनवरत चल सके। विकास मानव के लिये खुशहाली व समृद्धि लाये जिसका लाभ वर्तमान ही नहीं भावी पीढ़ियों को भी मिल सके। यही सतत विकास है।

विकासशील देशों के विकास में बाधाएँ

पूँजी की कमी, जनसंख्या की बहुलता, उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग, गरीबी का दुश्चक्र, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, आर्थिक असमानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निम्नस्तर तथा परिवहन, संचार एवं मूलभूत संसाधनों का अभाव– ये सब स्थितियाँ विकासशील देशों को विकसित बनने में बड़ी बाधाएँ हैं।

जहाँ तक बात भारत की है तो भारत का अतीत वैभवशाली रहा है। धन–धान्य की प्रचुरता के कारण सम्पन्न एवं समर्थ राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में रही है। उच्च श्रेणी के वस्त्रों से लेकर लौह–निर्मित वस्तुओं के निर्माण में भारत विश्व विख्यात था।

भारत आज पुनः विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। हमारे इन्जीनियर, डॉक्टर ,चार्टेड अकाउण्टेंट, मुख्य प्रबन्धक, व्यवसायी एवं प्रशासनिक अधिकारी अपनी योग्यता व श्रम से विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्यरत हैं। वर्तमान में न केवल भारतीय वस्तुओं की माँग विश्व में बढ़ी है, बल्कि हमारे अन्तरिक्ष अनुसंधान, प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञों की माँग बढ़ना भी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने का द्योतक है। आवश्यकता आज इस बात की है कि विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में भारत पुनः प्रतिस्थापित हो और 'सोने की चिड़िया' की पहले जैसी स्थिति प्राप्त हो।

शब्दावली

प्रति व्यक्ति आय – राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर प्राप्त आय।

जीवन प्रत्याशा – किसी देश के नागरिकों की औसत आयु।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) निम्नलिखित में से विकसित देश है–

   (अ) भारत (ब) ब्राजील

   (स) इण्डोनेशिया (द) अमेरिका ( )

   (ii) भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहलाता है–

   (अ) मानव विकास (ब) आर्थिक विकास

   (स) औद्योगिक विकास (द) सतत विकास ( )

2. किन्हीं तीन विकसित देशों के नाम बताइए।
3. विकासशील देशों के विकास में कौनसी बाधाएँ हैं ?
4. मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है ?
5. आर्थिक विकास की नवीन अवधारणा को समझाइए।
6. समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं ?
7. विकसित एवं विकासशील देशों का आर्थिक दृष्टि से अन्तर समझाइए।
8. आधुनिक विकास के परिणामस्वरूप हुए पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए।

अध्याय 12

हमारा संविधान

पिछली कक्षाओं में हम सरकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमने यह भी जाना है कि सरकार किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है। सरकार चलाने वाले लोग यह कार्य अपनी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं कर सकते। अब प्रश्न यह उठता है कि ये लोग किस आधार पर नियम बनाते हैं ? और इनका संग्रह कहाँ होता है ? इस अध्याय में हम संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे।

संविधान क्या है ?

जिस प्रकार हमें अपने परिवार संचालन के लिए कुछ नियम और व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी देश की शासन–व्यवस्था के संचालन के लिए भी नियमों तथा कार्य विधि की आवश्यकता होती है। सरकार के गठन, नागरिकों के अधिकार एवं कर्त्तव्य आदि की रूपरेखा इन्हीं नियमों के द्वारा निश्चित की जाती है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सरकार नागरिकों के लिए कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। शासन करने के लिए कुछ निश्चित नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। यदि ये नियम और कानून न हों तो पूरे देश में व्यवस्थाएँ बिगड़ जाएँगी और समाज में अशांति एवं अराजकता का वातावरण बन जाएगा। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए कानूनों के द्वारा सरकार को उत्तरदायी बनाया जाता है। इन नियमों एवं कानूनों के द्वारा सरकार और जनता के बीच संबंध तथा जनता में भी आपसी संबंध तय किये जाते हैं। किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले सभी नियमों और कानूनों का संग्रह 'संविधान' कहलाता है।

संविधान के प्रायः दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे–

1. लिखित संविधान : जिस संविधान के प्रावधान लिखित रूप में होते हैं, वे लिखित संविधान कहलाते हैं, जैसे– भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान।
2. अलिखित संविधान : जिस संविधान के प्रावधान लिखे नहीं जाते बल्कि परम्पराओं के रूप में रहते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहा जाता है, जैसे– ब्रिटेन का संविधान।

आइए, अब हम हमारे संविधान की बात करते हैं ।

भारत के संविधान का निर्माण

हमारे संविधान के निर्माण का विचार आजादी के बाद प्रकट नहीं हुआ, बल्कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ–साथ विकसित हुआ था। महात्मा गांधी ने 1922 में यह माँग की थी कि ''भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे।'' स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय भारत के लोगों की इस माँग ने जोर पकड़ा कि वे बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाना चाहते हैं और यह संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अन्ततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनता की

संविधान सभा की माँग को स्वीकार कर लिया गया। ब्रिटिश मंत्रीमण्डल का एक दल, जिसे 'केबिनेट मिशन' कहा गया, भारत आया। 'केबिनेट मिशन' ने अपनी रिपोर्ट में देश में संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के 296 जन प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हुए तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए। राजस्थान से भी संविधान सभा में 14 सदस्य सम्मिलित थे।

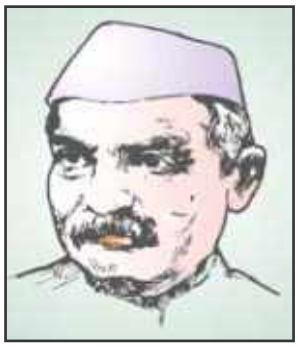
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा में पं. जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान के उद्देश्यों को तय करने वाला एक ''उद्देश्य प्रस्ताव'' रखा जो 22 जनवरी, 1947 को सभी की सहमति से पारित हुआ। संविधान सभा में एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेड़कर थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन बैठकों के बाद हमारे संविधान को तैयार किया। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित किया और 26 जनवरी 1950 को इसे देश में लागू किया गया है। भारत सरकार ने 26 नवम्बर को 'संविधान दिवस' घोषित किया है। पूरे देश में 26 नवम्बर 2015 को प्रथम संविधान दिवस मनाया गया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

गतिविधि–

शिक्षक के निर्देशन में अपनी कक्षा में संविधान सभा की मॉक बैठक आयोजित करके अपनी कक्षा के संविधान का निर्माण कीजिए।

भारत के संविधान की विशेषताएँ

हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

1. **सबसे लम्बा एवं लिखित संविधान**–हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद हैं जो कि 22 भागों में विभक्त हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। विभिन्न परिवर्धनों के बाद वर्तमान (सन् 2013) में इसमें 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। विश्व का कोई भी संविधान इतना बड़ा नहीं है।
2. **प्रस्तावना**–हमारे संविधान में प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है। यह प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का परिचय एवं भूमिका है। इसमें संविधान का सार है।
3. **विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा**–दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों से भी अनेक बातों को लेकर और उनमें हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से परिवर्तन करके उन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जैसे– मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के

संविधान से, राज्य के नीति निदेशक तत्त्व आयरलैण्ड से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से प्रेरित हैं।

4. **पंथ निरपेक्षता**–संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। भारत में रहने वाले लोगों को अपने–अपने विश्वास के अनुसार पंथ/मत/धर्म का पालन करने की आजादी है।

5. **समाजवाद**– संविधान सभी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समानता की बात करता है। इन क्षेत्रों में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे संविधान द्वारा ऐसे अनेक संरक्षणात्मक प्रावधान किए गए हैं जिनसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान और विशेष अवसर प्राप्त हो सके।

6. **लोकतांत्रिक गणतंत्र**– संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सरकार का चुनाव जनता करती है। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हुए ही कार्य करती है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। अतः हमारा देश गणतन्त्र कहलाता है।

7. **मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्त्तव्य**– हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और शोषण से मुक्ति के लिए छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों के साथ ही नागरिकों के ग्यारह मौलिक कर्त्तव्य भी निश्चित किये गए हैं, जिनका नागरिकों से पालन करने की अपेक्षा की गई है।

8. **नीति निदेशक तत्त्व**– जनता के हित को ध्यान में रख कर कानून तथा नीति बनाने और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संविधान में सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें संविधान में नीति निदेशक तत्त्व कहा गया है। नीति निदेशक तत्त्वों का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इनका पालन कर अपनी नीतियों का इस प्रकार निर्माण करे जिससे प्रत्येक देशवासी का कल्याण हो सके। हालाँकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता।

9. **संघात्मक शासन व्यवस्था**– हमारा संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण, जैसे–संघीय एवं प्रांतीय स्तरों की सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि शामिल हैं। हमारे संविधान में भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में बताया गया है। परन्तु भारतीय संघ न तो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है और न ही किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार है।

10. **संसदीय शासन व्यवस्था**– संविधान के द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक

अध्यक्ष है और शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् में निहित होती हैं, जो की अपने कार्यों के लिए संसद के सीधे जनता द्वारा चुने गये सदन 'लोकसभा' के प्रति जिम्मेदार होती है।

11. **स्वतंत्र न्यायपालिका–** देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि जनता को न्याय मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तथा संविधान के अनुसार ही शासन चलता रहे। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतन्त्र रखा गया है।

12. **कठोर एवं लचीला–** हमारे संविधान में बदलाव न तो आसानी से होता है, न ही कठोरता से। संविधान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से ही बदल लिया जाता है।

13. **इकहरी नागरिकता–** वैसे तो हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, किन्तु भारतीय नागरिकों को उनके अपने राज्य की नागरिकता नहीं दी गई है। वे केवल भारत के ही नागरिक हैं। इकहरी नागरिकता देश की एकता को बढ़ावा देती है।

14. **सार्वभौम वयस्क मताधिकार–** हमारे संविधान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार का प्रावधान है।

इन सभी विशेषताओं से हमें यह ज्ञात होता है कि संविधान सभा ने भारत के लिए एक उत्कृष्ट संविधान बनाने का प्रयास किया है। इस संविधान में अनेक विशिष्टताओं और अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए इसे जन आकांक्षाओं का प्रतीक एवं विश्व का अद्वितीय संविधान बनाया है।

शब्दावली

संविधान – किसी राज्य में शासन, व्यक्ति और उनके आपसी सम्बन्धों को निर्देशित करने वाले कानूनों का संग्रह।

व्यवस्थापिका – सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, जैसे कि हमारी संसद।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए–

(i) भारत गणराज्य है, क्योंकि–

(अ) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है

(ब) भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है

(स) राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है

(द) प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है ( )

(ii) भारत का संविधान लागू हुआ–

(अ) 28 नवम्बर 1949 (ब) 26 जनवरी 1930

(स) 26 जनवरी 1950 (द) 28 जुलाई 1950 ( )

2. संविधान के प्रकार बताइए।
3. प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ?
4. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ?
5. हमारे संविधान का निर्माण कितनी अवधि में हुआ ?
6. भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है?
7. हमारे संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
8. हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

अध्याय 13

हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

इस अध्याय में हम हमारे संविधान में वर्णित अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन अधिकारों के प्रयोग एवं इनके संरक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। हमने संविधान की विशेषताओं को पिछले अध्याय में पढ़ा। हमारा संविधान लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है यानी देश के केन्द्र में व्यक्ति है। देश का विकास तभी सम्भव है जब व्यक्ति का विकास भी हो। हमारे संविधान में व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से चहुँमुखी विकास के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार सरकार के कठोर नियमों के विरूद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं।

'अधिकार' संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को प्राप्त होने वाली वे अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं जिनसे वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अधिकार इस बात का प्रमाण भी है कि राज्य में व्यक्ति के महत्त्व और उसकी गरिमा को स्वीकार किया जाता है। हमारे संविधान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

हमारे मौलिक अधिकार

स्वतन्त्रता से पूर्व हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जीवन की सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। जनता को ब्रिटिश सरकार के जन–विरोधी कार्यों एवं कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई आजादी की लड़ाई इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। इसके लिए स्वतन्त्रता सेनानियों को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और हजारों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी थी। सन् 1928 में 'नेहरू रिपोर्ट' में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था।

हमारी संविधान सभा ने अपने 'उद्देश्य–प्रस्ताव' के अनुरूप ही संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एवं जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर निर्भर है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में सीधे शिकायत कर सकता है।

आइए, अब हम हमारे मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा करें–

1. **समानता का अधिकार–** समानता लोकतंत्र का आधार है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान में कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण मिलता है। संविधान के अनुसार राज्य अर्थात् सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। समाज में छुआछूत को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिकार द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। केवल शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियाँ दी जाती रहेंगी।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार–** संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं। इनमें प्रमुख हैं– (i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (ii) शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता (iii) राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संगठन या संघ बनाने की स्वतन्त्रता (iv) भारत में अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता (v) व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगाार करने की स्वतन्त्रता और (vi) व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा तथा बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता। 86 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार–** हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता एवं बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। इसके अन्तर्गत मानव व्यापार यानी स्त्री पुरुषों का क्रय–विक्रय, जबरदस्ती किसी से काम लेना या बेगार लेना एवं 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दण्डनीय अपराध है।

4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–** हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। सभी धर्म एवं सम्प्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबन्धन करने की स्वतन्त्रता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या सम्प्रदाय के विकास के लिए 'कर' देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं है और वह सभी धर्मो या पंथों को बराबर का सम्मान देता है।

5. **संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार–** इस अधिकार में नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाये रखने का अधिकार है। भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के साथ–साथ उनके संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने एवं उनकी देखभाल करने का अधिकार दिया गया है।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार–** इस अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसे प्रभावी बनाने का कोई साधन न दिया गया हो। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों

को प्रभावी बनाने का एक साधन है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जब नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उनके उपयोग में बाधा आती है तो वे इस अधिकार के अन्तर्गत न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों (आपातकाल) में इन मौलिक अधिकारों को सीमित या निलम्बित भी किया जा सकता है।

गतिविधि–

मौलिक अधिकारों का रंगीन चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। विद्यार्थियों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह से अलग–अलग अधिकार पर शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।

हमारे मौलिक कर्त्तव्य

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्त्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। जैसे वन, नदी, जल इत्यादि हमारे समाज की प्राकृतिक धरोहर हैं, हमें इनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करना हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है तो उनके अभिभावकों का भी कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें।

हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊँचाईयों को छू सके।

11. छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो उनसे कुछ कर्त्तव्यों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपेक्षा भी करता है।

गतिविधि–

विद्यालय एवं परिवार के प्रति आपके कर्त्तव्यों की पहचान करके उनकी अलग–अलग सूची बनाइए।

शब्दावली

अधिकार	–	वे आवश्यकताएँ जो व्यक्तित्त्व के विकास के लिए नैतिक एवं कानूनी रूप से आवश्यक हो।
कर	–	सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान।
समानता	–	बराबरी ।
शोषण	–	खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाया गया काम।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है–
(अ) समानता का अधिकार (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(स) स्वतंत्रता का अधिकार (द) संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( )

(ii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका संबंध है–
(अ) स्वतन्त्रता के अधिकार से (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार से
(स) संवैधानिक उपचारों के अधिकार से (द) समानता के अधिकार से ( )

2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौनसे मौलिक अधिकार से सम्बन्धित है ?

3. कौनसे मौलिक अधिकार के अन्तर्गत बालश्रम और बेगारी पर रोक लगाई गई है ?

4. अधिकारों और कर्त्तव्यों में क्या संबंध है?

5. 'समानता का अधिकार' का वर्णन कीजिए।

6. संविधान में वर्णित किन्हीं पाँच मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।

7. संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कीजिए।

अध्याय 14

संघीय सरकार

संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या संघीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे देश में भारत सरकार है। क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रान्तीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारी राजस्थान सरकार। संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियाँ संविधान द्वारा केन्द्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित कर दी जाती है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। हम राज्य सरकार के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ अब हम संघीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे।

संघीय शासन व्यवस्था

सामान्यतः जब किसी देश में शासन की सारी शक्तियाँ एक स्तर पर ही केन्द्रित हों, तो उसे 'एकात्मक शासन व्यवस्था' कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी देश में शासन की शक्तियाँ केन्द्र एवं राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित हों, तो उसे 'संघीय शासन व्यवस्था' कहते हैं।

संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएँ या लक्षण–

- संविधान की सर्वोच्चता ।
- द्विसदनात्मक विधायिका।
- लिखित संविधान।
- शासन की शक्तियों का केन्द्र और राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन।
- द्विस्तरीय शासन व्यवस्था अर्थात् केन्द्र और राज्य में दोनों जगह अलग–अलग सरकारें होना।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की मौजूदगी।

हमारे देश की शासन व्यवस्था एक संघीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था की उपर्युक्त वर्णित सभी विशेषताएँ हमारे देश की शासन व्यवस्था में भी विद्यमान हैं। संविधान द्वारा संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची के तहत केन्द्र और राज्यों के मध्य में उनके कार्यों के विषयों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। संघीय सरकार को शक्तियों के मामले में राज्य सरकारों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है।

गतिविधि :

अपने शिक्षक की सहायता से केन्द्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल प्रमुख विषयों को लिखिए।

संसदीय शासन प्रणाली

संघीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, क्योंकि उत्तरदायित्व के मामले में संसदीय शासन प्रणाली अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस व्यवस्था में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, किन्तु वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद् के द्वारा किया जाता है। इसमें कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच में समन्वय भी बना रहता है।

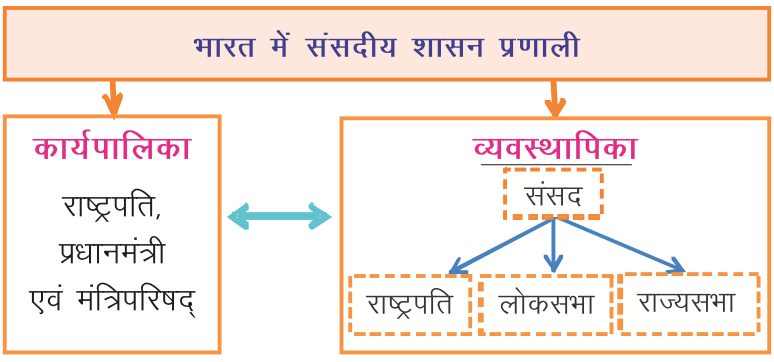

संलग्न रेखाचित्र को देखने से पता चलता हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों ही अंगों में सम्मिलित है, क्योंकि संसद जो भी विधेयक पारित करती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति पद को ही संविधान ने कार्यपालिका की शक्तियाँ सौंपी हैं। राष्ट्रपति ही संसद की बैठक आहूत करता है तथा प्रथम बैठक को सम्बोधित करता है। इसीलिए वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का भाग है।

संसद हमारी संघीय व्यवस्थापिका है, जो कि संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संसद द्वारा बनाये गये कानूनों को लागू करने का कार्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् शामिल हैं।

भारतीय संसद भवन

भारतीय संसद

हमारी संघीय व्यवस्थापिका या विधायिका का नाम 'संसद' है। देश में संघसूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। हालाँकि समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है परन्तु एक ही विषय पर राज्य विधायिका और संसद दोनों ने कानून बना लिया है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। इस प्रकार कानून बनाने के मामले में संसद को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिल कर होता है। हमारी संसद द्विसदनात्मक है, अर्थात् हमारी संसद के दो सदन हैं—लोकसभा और राज्यसभा।

लोकसभा

लोकसभा संसद का जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सदन है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं जिनमें से 530 राज्यों से, 13 केन्द्र शासित प्रदेशों से एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद् उसे समय से पहले भी भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। इसीलिए इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है।

लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है, जो—

- भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो।
- किसी लाभ के पद पर न हो।
- घोषित दिवालिया एवं विकृत चित्त का नहीं हो।

लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष व एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा की बैठकों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

राज्यसभा

संसद का दूसरा सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव राज्यों एवं संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सख्या 250 है। इसमें 238 सदस्यों का निर्वाचन होता है एवं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ और अनुभवी होते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि उसे लोकसभा की भाँति भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परन्तु प्रत्येक दो वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं एवं उनके स्थान पर पुनः एक तिहाई सदस्यों को चुना जाता है। राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का भारत का नागरिक एवं कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर न हो। विकृत चित्त का और घोषित दिवालिया व्यक्ति भी राज्य सभा का सदस्य नहीं बन सकता।

राज्यसभा की बैठकों का संचालन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करते हैं।

संसद, अर्थात् लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं।

गतिविधि : अपने शिक्षक की सहायता से निम्नलिखित सारणी की पूर्ति कीजिए–

क्र.सं.	विवरण	लोकसभा	राज्यसभा
1.	अधिकतम सदस्य संख्या		
2.	वर्तमान सदस्य संख्या		
3.	सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु		
4.	राजस्थान से सदस्यों की संख्या		
5.	कार्यकाल		
6.	वर्तमान अध्यक्ष / सभापति		
7.	वर्तमान उपाध्यक्ष / उपसभापति		

संसद के कार्य एवं शक्तियाँ

1. संसद का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है।
2. संसद कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। इसके लिए वह प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि माध्यमों का सहारा लेती है।
3. संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है और न ही किसी

प्रकार का व्यय कर सकती। कार्यपालिका द्वारा बजट को संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है।

4. संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है।
5. संसद को निर्वाचक शक्तियाँ प्राप्त है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अपने पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी कार्य करती है।
6. संसद महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरूद्ध कार्यवाही कर सकती है।

गतिविधि :
कक्षा में संसद का मॉक सत्र का आयोजन करके भारत में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा कीजिए।

संघीय कार्यपालिका

संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् सम्मिलित होते हैं। संघीय कार्यपालिका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति बन सकता है जो–

- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
- किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो ।

कार्यकाल

राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही संसद कार्यकाल समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है।

केवल पढ़ने के लिए

राष्ट्रपति–निर्वाचन की प्रणाली

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा होता है। वैध मत–पत्रों का मूल्य निकाला जाता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। निश्चित भाग का निर्धारण वैध मतों में निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार (यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है) की संख्या में एक जोड़ कर भाग देने पर प्राप्त भागफल में एक जोड़ कर किया जाता है।

(क) राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करके विधानसभा एवं संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है–

$$\text{विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \div 1000$$

$$\text{संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य} = \frac{\text{समस्त विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य}}{\text{संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या}}$$

(ख) राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्राप्त कुल वैध मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त होना आवश्यक है, जो इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है :

$$\text{मतों का निश्चित भाग} = \frac{\text{वैध मत}}{\text{राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित उम्मीदवार की संख्या} + 1} + 1$$

राष्ट्रपति की शक्तियाँ

राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों एवं कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है– सामान्यकालीन शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ।

सामान्यकालीन शक्तियाँ

1. राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है और उसके प्रथम अधिवेशन को सम्बोधित करता है।
2. संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करता है।
3. जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब आवश्यकता होने पर अध्यादेश जारी करता है।

4. प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् के सदस्यों, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कई महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ करता है।
5. अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
6. केन्द्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है।
7. वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल, जल एवं वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है तथा युद्ध व उसकी समाप्ति की घोषणा करता है।
8. अपराधियों की सजा को माफ, कम या स्थगित करता है। मृत्युदण्ड के मामले में क्षमादान करने का प्राधिकार केवल राष्ट्रपति को है।

आपातकालीन शक्तियाँ

1. युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू करना। (अनुच्छेद 352)
2. किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने पर वहाँ आपातकाल लगाना । (अनुच्छेद 356)
3. राष्ट्र में वित्तीय संकट आने पर वित्तीय आपातकाल लगाना। (अनुच्छेद 360)

गतिविधि–

भारत के प्रथम राष्ट्रपति से वर्तमान तक के राष्ट्रपति के चित्रों का संग्रह करके उनके कार्यकाल सहित एक चार्ट पर चिपका कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो।

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, पदच्युत, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। संसद उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भी पद से हटा सकती है।

प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद्

संविधान द्वारा दी गई सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित है। राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तव में प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलों के गठबन्धन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।

केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्रियों को सम्मिलित रूप से मंत्रिपरिषद् कहा जाता है, जबकि मंत्रिमण्डल के सदस्य केवल केबिनेट मंत्री ही होते हैं। अतः मंत्रिमण्डल, मंत्रिपरिषद् का ही एक भाग है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक मंत्रिपरिषद् अपने पद पर बनी रहती है।

प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं–

1. मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
2. मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है एवं उनमें फेरबदल करता है।
3. मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सभी मंत्रियों के कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित एवं उनमें समन्वय स्थापित करता है।
4. बहुमत दल का नेता होने के कारण सदन के नेता के रूप में कार्य करता है।
5. वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच सम्पर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है।
6. समय–समय पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वैधानिक मामलों और कार्यपालिका के निर्णयों के बारे में जानकारी देता है।

प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का मुखिया होता है, अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु या उसके त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद् स्वतः ही विघटित हो जाती है।

इस अध्याय में हमने भारत की संघीय सरकार और संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा। साथ ही संघीय व्यवस्थापिका के रूप में संसद के दोनों सदनों के गठन, कार्यकाल और शक्तियों के बारे में भी जाना। केन्द्रीय कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त की गई ।

शब्दावली

महाभियोग	–	संसद द्वारा राष्ट्रपति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि
इकहरी नागरिकता	–	भारत में नागरिकों को संघ व्यवस्था के बावजूद केवल संघ की नागरिकता ही प्राप्त है, राज्य की नहीं
अध्यादेश	–	जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब आवश्यक विषय पर राष्ट्रपति कानून बनाने के लिए जो आदेश जारी करता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व	–	एक निश्चित अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व करना।
एकल संक्रमणीय	–	मतदान की वह प्रणाली जिसमें निर्धारित मत प्राप्त करने के लिए विभिन्न उम्मीदवारों में मतों का संक्रमण (विभाजन) किया जाता है

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

   (i) संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है :

   (अ) शक्तियों का विभाजन

   (ब) शक्तियों का केंद्रीयकरण

   (स) न्यायालय की स्वतंत्रता का अभाव

   (द) सर्वाधिकारवादी शासन ( )

   (ii) संसद का अंग नहीं है :

   (अ) राज्यसभा (ब) लोकसभा

   (स) राष्ट्रपति (द) राज्यपाल ( )

2. भारत संघ में कितने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश हैं ?
3. राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है ?
4. संघीय मंत्रिपरिषद् किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है ?
5. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ?
6. लोकसभा के गठन को स्पष्ट कीजिए।
7. भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के दो कारण लिखिए।
8. राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए।
9. प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए।

अध्याय 15

कानून एवं भारतीय न्यायपालिका

अब तक आप संघीय सरकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आपने यह जान लिया है कि संघीय सरकार कानून बनाती है। कानून क्या होते हैं ? और इन कानूनों को बनाना क्यों आवश्यक है ? क्या इन कानूनों की जानकारी हमें भी होनी चाहिए ? हमारे देश में इन कानूनों की व्याख्या कौन करता है ? इन कानूनों के आधार पर न्याय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है ? हम इन सभी बातों का अध्ययन इस अध्याय में करेंगे।

राम एवं उसके पिताजी बस में सवार होकर शहर के किसी चौराहे से गुजर रहे थे। राम ने देखा कि एक ही मोटर साईकिल पर सवार तीन युवकों को यातायात पुलिस ने रोक रखा है। उसने अपने पिताजी से पूछा, ''पापा! इन लोगों को पुलिस ने क्यों रोक रखा है ?'' उसके पापा ने कहा, ''इन युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है तथा एक ही मोटर साईकिल पर दो की जगह तीन लोग सवार हैं, जो कि सीधा–सीधा यातायात कानूनों का उल्लंघन है, इसीलिए यातायात पुलिस इन युवकों से जुर्माना वसूल कर रही है।'' राम ने उत्सुकता से पूछा, ''पापा! यातायात कानून क्या होते हैं ?'' उसके पापा ने बताया कि सड़क सुरक्षा से संबंधित ऐसे नियम–कायदे जो हमें वाहनों के सड़क पर सही एवं सुरक्षित रूप से चलने की वर्तमान प्रणाली से परिचित कराते हैं, उन्हें यातायात कानून कहा जाता है। इन नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो जीवन को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सड़क पर होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण यातायात के नियमों का पालन नहीं करना ही होता है। सड़क दुर्घटना में शराब का सेवन एक महत्वपूर्ण कारक है जो वाहनों की भिड़न्त एवं गंभीर चोट का खतरा बढ़ाती है जिससे मृत्यु तक हो सकती है। शराब कार्य करने की निष्पादन क्षमता को घटाती है और शारीरिक गतिशीलता एवं दिमाग द्वारा नियन्त्रण की क्षमता को प्रभावित करती है। यह गति एवं दूरी को समझने की क्षमता को भी बाधित करती है। शराब का प्रभाव गुस्से को बढ़ाता है, अतः

यातायात नियम को तोड़ने पर पुलिस द्वारा चालान

वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग

झगड़े की सम्भावना भी बढ़ जाती है। शराब पीकर वाहन चलाना एक दण्डनीय अपराध है।

राम की उत्सुकता को देखकर उसके पिताजी ने आगे उसे और जानकारी दी कि वाहन चलाने के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। बच्चों को इस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। वाहन चलाने के लिए वाहन–चालन का प्रशिक्षण भली–भाँति प्राप्त कर लेना चाहिए और यातायात के नियमों की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

राम ने फिर प्रश्न पूछा, 'क्या मैं 18 वर्ष का हो जाऊँगा तब वाहन चला सकता हूँ ?' उसके पिताजी ने बताया कि सिर्फ 18 वर्ष की आयु हो जाने से ही वाहन चलाने के लिए हम योग्य नहीं हो जाते हैं, हमें वाहन चलाने के लिए 'ड्राइविंग लाइसेन्स' प्राप्त करना पड़ता है जो चालक की वाहन चलाने की योग्यता की पूरी जाँच करके फिर जारी किया जाता है। यह ड्राइविंग लाइसेन्स हमें वाहन चलाते समय हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अन्यथा जुर्माना हो सकता है। यदि कोई अवयस्क वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 300/–रुपये जुर्माना एवं वाहन मालिक पर 1000/– का जुर्माना हो सकता है। अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 या 337 के तहत मुकदमा दर्ज होता है तथा उसे बाल सुधार गृह भेजा जा सकता है।

सीट बेल्ट का प्रयोग

कार, जीप इत्यादि मोटर वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट और दुपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए तभी हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3) सी.एम.वी.आर. 177 के तहत वाहन चालक से 100/–रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है।

इस तरह राम के पिताजी ने राम को यातायात नियमों और कानूनों की जानकारी देकर यातायात कानून के बारे में उसकी समझ बनाने का प्रयास किया।

गतिविधि :

1. ऐसी पाँच परिस्थितियाँ के अनुभव को अपने कक्षा के बच्चों से साझा करें जब आपने वाहन चालकों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा हो।
2. अपने शिक्षक से ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कीजिए।

कानून

बच्चो ! आपने यातायात कानून के बारे में समझा। इसी तरह विभिन्न बातों को लेकर अनेक अन्य कानून बनाये गये हैं। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम एवं कानून जरूरी होते हैं। कानून

क्या होता है ? कानून का मतलब सरकार द्वारा निर्मित ऐसे बाध्यकारी नियमों से है, जो समाज में व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्यों को संचालित करते हैं। प्रायः कानून हमारे जीवन को सहज एवं सरल बनाते हैं। कानून का उल्लंघन करने पर दण्ड मिलता है। कानून के उल्लंघन से बचने के लिए हमें कानून की जानकारी होना जरूरी है। हमें कानून का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि कानून हमारी भलाई के लिए होते हैं।

आप सोचिए कि हम कानून का पालन नहीं करें तो क्या होगा ? यदि –

1. हम भी यातायात नियमों का उल्लंघन करें ।
2. कोई व्यापारी पूरे पैसे लेकर भी कम सामान देवे।
3. बिना टिकट के रेल या बस में यात्रा करें।
4. कोई चिकित्सक अस्पताल में लिंग परीक्षण करके कन्या भ्रूण हत्या करे या करने में सहयोग करे।
5. कोई भी परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोशिश करे।

उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार ऐसे गलत कार्यों पर यदि कोई नियंत्रण नहीं हो तो इन सभी बातों से हमारा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। लेकिन कानून ऐसा होने से रोकता है। अतः नियत्रंण कानून का आधार है। कानून की भावना केवल नकारात्मक ही नहीं होती वरन् सकारात्मक भी होती है क्योंकि नियंत्रण के साथ–साथ कानून हमें अधिकार और सुविधाएँ भी प्रदान करता है। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। हमारा कानून धर्म, जाति या लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। चाहे कोई भी व्यक्ति हो यदि वह कानून तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है।

कानून का पालन करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि ये सरकार ने बनाये हैं। यदि इस आधार पर कानूनों को माना जाये कि इन्हें सरकार ने बनाया है तो इसका स्वरूप कभी–कभी दमनात्मक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अधिनायकवाद को जन्म दे सकती है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ कानून बनाते समय न्याय की अवधारणा को महत्त्व दिया जाना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र का विकास होगा और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये कई कानूनों का हमारे द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि वे कानून समानता और न्याय का उल्लंघन कर रहे थे।

गतिविधि :

अपने शिक्षक की सहायता से उन कानूनों पर चर्चा कीजिए, जिनका स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान जनता द्वारा विरोध किया गया था।

कानून के प्रकार

1. वर्तमान समय में भी कुछ कानून परम्पराओं, रीति–रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ये 'सामाजिक कानून' कहलाते हैं।
2. आधुनिक राज्यों में कानून का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है, जैसे– हमारी संसद, इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट या अमेरिका की काँग्रेस द्वारा कानून बनाना। इस प्रकार के कानून 'राष्ट्रीय कानून' होते हैं। राष्ट्रीय कानून उस देश के नागरिकों और संस्थाओं पर लागू होते हैं।

3. कानून राष्ट्रीय ही नहीं वरन् अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं। 'अंतर्राष्ट्रीय कानून' संप्रभु राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों को संचालित करते हैं।

कानून के स्रोत

1. राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है, इसी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए सरकार स्वयं आगे बढ़ कर कानून बनाती है। जैसे किसी ने कोई अपराध किया तो उसके लिए दण्ड की प्रक्रिया निर्धारण के लिए भारतीय दंड संहिता को बनाया गया।
2. कई बार समाज के विभिन्न वर्गों एवं जन संगठनों से किसी खास कानून को बनाने के लिए माँग उठाई जाती है। इन माँगों के प्रति संवेदनशील रहते हुए सरकार कानून बनाती है। इसी आधार पर सरकार ने महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के लिए घरेलु हिंसा विरोधी कानून बनाया। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के गाँव देव डूंगरी में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से सम्बन्धित सरकारी रिकॉर्ड, जैसे– हाजरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियाँ माँगने के लिए संघर्ष किया। धीरे–धीरे उनका यह संघर्ष आंदोलन के रूप में परिवर्तित होकर राष्ट्रव्यापी हो गया। सरकार ने अन्त में जनता की इस भावना को स्वीकार कर एक क्रांतिकारी एवं महत्त्वपूर्ण कानून 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' बनाया, जो कि सरकारी स्तर पर जन–भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ है।
3. कभी–कभी देश में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें कानून बनाना जरूरी हो जाता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने तुरन्त कानून बनाया था।

हमारी न्यायपालिका

राज्य की सत्ता कानूनों को वैधानिक आधार प्रदान करती है, परन्तु न्याय की अवधारणा प्रत्येक कानून को सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण करती है। हमारे देश में कानूनों की व्याख्या एवं संविधान के अनुसार न्यायप्रदान करने के लिए स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। पूर्व में हमने जाना कि सरकार के तीन अंग होते हैं– 1. व्यवस्थापिका 2. कार्यपालिका एवं 3. न्यायपालिका।

हम जानते हैं कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। वैसे तो केन्द्र और राज्य सरकारें संविधान द्वारा निर्धारित अपने–अपने कार्य क्षेत्र में काम करती है, लेकिन फिर भी इनमें किसी भी विषय पर आपस में मतभेद हो सकता है। संविधान के अनुसार उन मतभेदों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो नई दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय अन्य कार्यों के अलावा कानून तथा संविधान की व्याख्या करता है।

आइये! अब हम हमारी न्यायपालिका पर विस्तार से विचार करें–

भारत में न्यायपालिका की संरचना

हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर स्थानीय एवं जिला अदालतें होती है। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय या कुछ राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है।

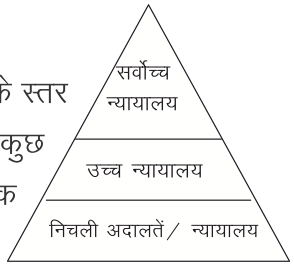

गतिविधि–
शिक्षक की सहायता से जानकारी करो कि किन–किन राज्यों में संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय हैं ?

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय हमारी न्यायपालिका का सबसे बड़ा न्यायालय है। हमारे संविधान का रक्षक है। उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। यह देश के समस्त न्यायालयों से ऊपर है, इसलिए यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नांकित योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालात कर चुका हो अथवा
- राष्ट्रपति की राय में वह प्रसिद्ध कानूनविज्ञ हो।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। स्वयं के त्यागपत्र से या महाभियोग द्वारा इन्हें समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है –

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार–** (i) नागरिकों के मूल अधिकार सम्बन्धी विवाद (ii) केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा (iii) राज्य सरकारों के मध्य के विवादों की सुनवाई प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, ऐसे तीन प्रकार के मामले हो सकते हैं–
   - **क. संवैधानिक मामले**– ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या सम्बन्धी कोई प्रश्न विचारणीय हो।
   - **ख. दीवानी मामले**– जमीन जायदाद, चीजों की खरीददारी, विवाह, तलाक, किराया, संविदा आदि से सम्बन्धित मामले।
   - **ग. फौजदारी मामले**– ऐसे विवाद जो चोरी, अपराध, हत्या, डकैती, मारपीट आदि से सम्बन्धित हो।

3. **संविधान एवं मौलिक अधिकारों का रक्षक–** (i) सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है इसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' भी कहते हैं। (ii) नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करता है। (iii) सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय भी है। इसके सभी निर्णय प्रकाशित किये जाते हैं। इन निर्णयों का प्रयोग आगे आने वाले मुकदमों में कानून की तरह किया जाता है।

उच्च न्यायालय

राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय होता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसकी एक पीठ (बेंच) जयपुर में स्थित है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्बन्धित राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए–

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक वकालात की हो।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार–

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार–** ऐसे मामले जो सीधे ही उच्च न्यायालयों में प्रारम्भ किये जा सकते है, जैसे– मौलिक अधिकार सम्बन्धी याचिकाएँ / मामले।
2. **अपीलीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ जिला एवं सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
3. **पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार–** उच्च न्यायालय को राज्य के समस्त न्यायालयों का निरीक्षण करने, सूचना प्राप्त करने, उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्यवाहियों के संचालन सम्बन्धी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की कानूनी व्याख्या करने के लिए उन्हें अपने पास मँगवाने का भी अधिकार है।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता

हमारे संविधान ने न्यायपालिका को बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है। न्याय करने का कार्य बिना

किसी दबाव एवं हस्तक्षेप से तभी हो सकता है जब न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे। हमारे संविधान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए इसे व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से अलग रखा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें आदि में व्यवस्थापिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका को वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायाधीशों के कार्य, आचरण और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना से मुक्त रखा गया है। इन सभी प्रावधानों से न्यायापालिका की स्वतंत्रता बनाये रखने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

गतिविधि–

विद्यार्थी अपने शिक्षक की सहायता से दीवानी व फौजदारी कानून से जुड़े हुए मुकदमों के उदाहरणों की सूची तैयार करें।

न्याय तक सबकी पहुँच हो और न्याय शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता हो इसके लिए हमारे देश में कुछ महत्त्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

लोक अदालत

प्राचीन समय से ही जिस तरह गाँव के लोग अपने विवादों का निपटारा आपसी समझाइश और राजीनामा से करते हैं, उसी तरह का कार्य वर्तमान में लोक अदालत करती है। इससे लोगों में आपसी सद्भाव बनाये रखने में मदद मिलती है। यह आपसी समझौते के द्वारा विवादों का निपटारा कर लोगों के धन और समय का अपव्यय रोकती है। लोक अदालत के फैसले सभी पक्षों को अनिवार्य रूप से मान्य होते हैं। ऐसे फैसले के विरुद्ध कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। हमारे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थाई रूप से लोक अदालतें काम करती है। यह नियमित अदालतों से अलग है।

लोक अदालत का दृश्य

त्वरित न्यायालय (फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट)

न्यायालयों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के कारण कई वर्षों तक मुकदमों का निर्णय नहीं हो पाता है। न्याय में देरी का अर्थ है, न्याय न मिलना। गम्भीर किस्म के कुछ विशेष प्रकरणों में लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है। इन न्यायालयों में मुकदमों की दिन–प्रतिदिन सुनवाई कर त्वरित निर्णय किए जाते हैं।

जनहित याचिका

नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। कई बार लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे सरकार या लोगों द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता रहता है और वे जानकारी के अभाव में उनके उल्लंघन के विरुद्ध अदालत में भी नहीं जाते। ऐसे लोग जो किसी प्रतिकूल परिस्थिति जैसे–अशिक्षा, अज्ञानता या गरीबी के कारण न्याय

प्राप्ति के लिए स्वयं न्यायालय में नहीं जा सकते, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया जाता है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। किसी भी सार्वजनिक महत्त्व के मुद्दे पर न्यायालय स्वयं भी प्रसंज्ञान ले सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से वंचित व्यक्तियों और समूहों को न्याय सुलभ हुआ है। ऐसी ही एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 28 मार्च 2001 को सभी राज्य सरकारों को राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को छः माह के भीतर पके हुए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के आदेश प्रदान किये। न्यायालय के इस आदेश की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। राजस्थान में राजकीय और राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जनहित याचिका से कार्यपालिका की जवाबदेही और व्यवस्थापिका की सजगता में वृद्धि हुई है।

विधिक सहायता सेवा

समाज के कमजोर वर्गों को सरकार की ओर से विधिक सहायता सेवा का प्रावधान किया गया है। इस सेवा के अन्तर्गत मुकदमें की पैरवी करने हेतु सरकार द्वारा वकील की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय 125000/–रुपये तक हों, या वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों, तो उन्हें यह सेवा प्रदान की जाती है। महिला, बालक, निराश्रित, बंदी एवं आपदाग्रस्त व्यक्तियों को भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

विधिक साक्षरता

कानूनों की जानकारी के अभाव में किसी कानून का उल्लंघन हो जाने की स्थिति, उस उल्लंघन के अपराध के दण्ड से विमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है। अतः हमें कानूनों से परिचित होना आवश्यक है। विधिक साक्षरता के तहत नागरिकों को अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने व अन्य आवश्यक कानूनों की सामान्य जानकारी दी जाती है। कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, वकील व कानून विशेषज्ञ समय–समय पर विधिक साक्षरता शिविर, मेले, जनसभाएँ इत्यादि के द्वारा लोगों को कानूनों की जानकारी देते रहते हैं। विद्यालयों में भी विद्यार्थियों से सम्बन्धित कानूनी अधिकार एवं जानकारियों के बारे में बताया जाता है। विधिक साक्षरता से समाज में भाईचारे को बढ़ावा मिलता है और अपराधों में भी कमी आती है। इनसे नागरिकों में उत्तरदायित्व का बोध विकसित होता है और वे सजगता से व्यवहार करते हैं।

राजस्थान में ग्राम न्यायालय

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु 'ग्राम न्यायालय एक्ट, 2008' के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में भी ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय जयपुर जिले के बस्सी में खोला गया।

इन ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।

इस अध्याय में हमने कानूनों की जानकारी एवं न्याय के महत्त्व को समझा और साथ ही साथ हमारे देश की न्यायपालिका के संगठन और उसके कार्यों को जाना। हम वंचित लोगों को न्याय उपलब्ध कराने के नवीन प्रयासों से भी परिचित हुए।

शब्दावली

मुकदमा	–	न्यायालय के विचाराधीन विवाद का मामला
अपील	–	निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध पुनः विचार के लिए किसी पक्ष का ऊपरी अदालत में जाना
याचिका	–	अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना।
वकील	–	कानून के सिद्धान्तों और कानूनों के आधार पर अदालत में किसी मुकदमें में पैरवी करने वाला कानून का विद्वान।

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनते हुए कोष्ठक में अंकित कीजिए –

   (i) निम्नांकित में से कौनसा मामला फौजदारी कानून से संबंधित है :

   (अ) डकैती (ब) सम्पत्ति का बँटवारा

   (स) किराया (द) विवाह पंजीकरण ( )

   (ii) विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है, जनता को :

   (अ) कानूनी जानकारी देना (ब) अक्षर ज्ञान देना

   (स) प्रौढ़ शिक्षा देना (द) वकील बनाना ( )

2. निचली अदालत के फैसले के विरूद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ?
3. राजस्थान उच्च न्यायालय तथा इसकी पीठ कहाँ स्थित है ?
4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ लिखिए।
5. लोक अदालत से क्या अभिप्राय है ?
6. जनहित याचिका किसे कहते हैं ?
7. न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं ?
8. सरकार किन–किन बातों को ध्यान में रखकर कानूनों का निर्माण करती है ?
9. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
10. यातायात कानूनों का उद्देश्य क्या है ?
11. हमारे देश के वर्तमान यातायात नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
12. शराब के दुष्प्रभाव लिखिए।
13. ''यदि मैं एक यातायात पुलिस का सिपाही होता''– इस विषय पर अपनी नोटबुक में एक पृष्ठ लिखिए।

अध्याय 16

राष्ट्रीय सुरक्षा

एक अवधारणा के अनुसार किसी राष्ट्र के निर्माण में ये चार तत्त्व अनिवार्यतः शामिल होते हैं– भूमि, जनसंख्या, सम्प्रभुता और सरकार। राष्ट्र की अखण्डता को बनाए रखने अर्थात् देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना भी राष्ट्र का एक अनिवार्य अंग है। भारत की सेना देश का गौरव और हमारा विश्वास है। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और बलिदान से विश्व में ख्याति अर्जित की है।

राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ

भारत के समक्ष सुरक्षा चुनौतियाँ निरन्तर उपस्थित रही हैं। ये चुनौतियाँ विभिन्न स्तरों पर विद्यमान हैं। शत्रु का खतरा न केवल देश की सीमाओं पर विद्यमान रहता है, अपितु देश के सुरक्षा–चक्र को भेदकर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा वह देश के आन्तरिक भागों में भी चुनौतियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता है। तीसरी तरफ वह देश की एकता के ताने–बाने पर भी प्रहार करने का प्रयास करता रहता है। इन विभिन्न तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश में विभिन्न स्तरों वाली सुरक्षा–व्यवस्था स्थापित है।

सीमा पर निगरानी रखते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान

भारत पश्चिम में पाकिस्तान से, तो उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। ये देश भारत पर आक्रमण कर चुके हैं। इन देशों के साथ भारत का सीमा–विवाद भी है। पाकिस्तान आंतकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर भारत से परोक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए है। भारत की उत्तरी सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है। उत्तरी–पूर्वी सीमा पर चीन आए दिन सीमा का उल्लंघन करता रहता है। सीमाओं पर घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना रहता है। देश में कुछ क्षेत्र अलगाववादी और नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त हैं।

गतिविधि –

विगत 15 दिवस के समाचार–पत्रों से भारत की सीमाओं पर होने वाली हलचल और आंतरिक सुरक्षा संबंधी समाचार संकलित कीजिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा को हम दो प्रकार से देखते हैं–

1. बाह्य सुरक्षा और 2. आन्तरिक सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा

बाह्य सुरक्षा से आशय देश की सीमाओं की सुरक्षा से है। 'प्रथम सुरक्षा पंक्ति' के रूप में देश की सेनाएँ शत्रु से मुकाबला कर उसे परास्त करती हैं। जब युद्ध नहीं होता और शांतिकाल होता है, तब सेनाएँ सीमा से कुछ दूर रहती हैं। उस समय 'दूसरी सुरक्षा पंक्ति' के रूप में सीमा सुरक्षा बल, तट रक्षक बल,

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस व अन्य सुरक्षा बल देश की सीमाओं पर गश्त करते हुए निगरानी रखते हैं। वे आंतकवादियों, घुसपैठियों और तस्करों को सीमा पार करने से रोकते हैं। युद्ध की आशंका होने पर सेनाएँ सीमा पर आ डटती हैं और शत्रु का मुकाबला करने के लिए मोर्चा सम्भाल लेती हैं।

भारतीय सेना

भारतीय सेना के तीन अंग हैं– 1. थल–सेना (आर्मी) जमीन पर युद्ध करती है। 2. जल–सेना (नेवी) समुद्री सीमाओं पर युद्ध करती है। 3. वायु–सेना (एयर फोर्स) आकाशीय सीमाओं की निगरानी रखती है और युद्ध में आकाश–मार्ग से शत्रु के आक्रमण का मुकाबला कर थल–सेना और जल–सेना की मदद करती है।

तीनों सेनाओं के अपने–अपने सेना अध्यक्ष होते हैं। भारतीय सेना केन्द्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का 'सर्वोच्च सेनापति' होता है।

थल सेना

जल सेना

वायु सेना

तीनों सेनाओं के प्रतीक चिह्न

गतिविधि–

भारत की तीनों सेनाओं के वर्तमान अध्यक्षों का नाम मालूम कीजिए।

प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा(1947)

भारतीय सेना उच्च प्रशिक्षित तथा परमाणु हथियार और शक्तिशाली आधुनिकतम् हथियारों से युक्त विश्व की एक अनुशासित और शक्तिशाली सेना है। भारतीय सेना ने सन् 1962, 1965, 1971 व 1999 में दुश्मन के आक्रमणों का मुँहतोड़ जवाब देकर दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिये थे। विश्व के अनेक युद्धग्रस्त देशों में युद्धों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने 'संयुक्त राष्ट्र संघ' के तत्वाधान में 'शांति–सेना' के रूप में कार्य करते हुए विश्व में शांति की स्थापना में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। तूफान, बाढ़, भूकम्प, दंगे आदि विपत्तियों के समय सेना 'नागरिक प्रशासन' की मदद भी करती है।

गतिविधि–

अपने शिक्षक से स्वतंत्रता के बाद भारत व उसके पड़ोसी देशों के मध्य हुए युद्धों की जानकारी प्राप्त करें।

विश्व की दूसरी शक्तिशाली सेनाओं की बराबरी पर बने रहने के लिए भारतीय सेना को आवश्यकता अनुसार आधुनिकतम हथियार, सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है। भारत काफी सैन्य सामग्री और तकनीक विदेशों से खरीदता रहा है, परन्तु अब भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी उन्नत तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। देश के 'रक्षा एवं अनुसंधान संगठन' जैसे अनुसंधान संस्थानों में भारतीय रक्षा वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे रहते हैं। भारत सैन्य सामग्री के उत्पादन में आत्म–निर्भरता की ओर अग्रसर है। अब तो 'अग्नि' व 'पृथ्वी' जैसे शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र, टैंक, लड़ाकू विमान व जहाज तथा अन्य हथियारों का उत्पादन देश में ही हो रहा है।

भारत के सुरक्षा कवच

1. **सुखोई–30 MKi :** यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप रूस में निर्मित दो शक्तिशाली इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इस पर ब्रह्मोस एवं निर्भय जैसी क्रूज मिसाइलें लगाई जा सकती है। यह प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भर सकता है।

2. **ब्रह्मोस मिसाइल :** इसका निर्माण रूस एवं भारत के संयुक्त उपक्रम द्वारा किया गया है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। यह जमीन, समुद्र, उपसमुद्र और आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे छिपे लक्ष्य पर भी निशाना लगाने में सक्षम है।

3. **आई.एन.एस. विक्रमादित्य :** यह भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत है। इसका क्षेत्रफल तीन फुटबाल के मैदान के बराबर है। यह 'मिग–29' जैसे कुल 24 विमानों को जाने में सक्षम हैं। इस पर विमान पट्टी भी मौजूद है।

4. **टी–90 एस भीष्म टैंक :** इससे 5 किमी के दायरे में प्रहार किया जा सकता है। इस टैंक पर किसी भी प्रकार के रासायनिक, जैविक और रेडियो एक्टिव हमले का असर नहीं होता। इसके अंदर बैठ

युद्धक टैंक : भीष्म (टी–90 एस)

विमान वाहक पोत : विक्रमादित्य

कर इसे रिमोट से भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसका डिजाइन इस तरह का है कि हमला होने पर बम इस टैंक से टकराकर कमजोर पड़ जाता है तथा उससे निकलने वाले विकिरण टैंक के अंदर बैठे जवानों को हानि नहीं पहुँचा सकते हैं।

5. **आई.एन.एस.चक्र–2 :** यह एक परमाणु संयंत्र युक्त पनडुब्बी है, जो पानी के भीतर 600 मीटर गहराई पर रह सकती है। यह लगातार तीन माह तक समुद्र के अन्दर रह सकती है।

गतिविधि–

शिक्षक की सहायता से हमारे देश में विकसित प्रमुख सुरक्षा हथियार, जैसे– टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सूची बनाइए और उनके चित्र एकत्रित कीजिए।

अर्द्ध सैनिक बल और सीमा सुरक्षा

भारत की थल–सीमा की लम्बाई 15,200 किलोमीटर और जल–सीमा की लम्बाई 7516 किलोमीटर है। शांतिकाल में विभिन्न अर्द्ध सैनिक बल सीमा की निगरानी रखते हैं। सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) के जवान भारत की पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगने वाली थल सीमा पर तैनात रहते हैं। उत्तर–पूर्व के पर्वतीय इलाके में चीन से लगी सीमा पर भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी) के जवान निगरानी रखते हैं, तो वहीं समुद्री सीमा की निगरानी तट रक्षक बल (कोस्ट गार्ड) के जवान रखते हैं। सीमाओं पर गश्त करते हुए निगरानी रखने वाले ये अर्द्धसैनिक बल आतंकवादियों, तस्करों और घुसपैठियों को देश में घुसने से रोकते हैं। सीमाओं की निगरानी के लिए देश में अन्य सुरक्षा बल भी मौजूद हैं।

भारत की सशस्त्र सेनाओं के सहयोग के लिए इन अर्द्धसैनिक बलों के अलावा प्रादेशिक सेना, नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.), नागरिक सुरक्षा दल (सिविल डिफेन्स) आदि संगठन सेना के सहयोग के लिए तैयार किए गए हैं। सैन्य–शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी अपने स्कूल व कॉलेज में चलने वाले एन. सी.सी. से जुड़ सकते हैं। देश के सामान्य नागरिक 'प्रादेशिक सेना' और 'नागरिक सुरक्षा दल' से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव और महेन्द्र सिंह धोनी प्रादेशिक सेना से जुड़े हुए हैं। वैसे अनेक देशों में नागरिकों को सैनिक शिक्षा और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

आन्तरिक सुरक्षा

देश में आन्तरिक सुरक्षा के लिए पुलिस एवं अन्य विशिष्ट अर्द्धसैनिक बल व आरक्षित बल होते हैं। आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों की होती है। प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का पुलिस संगठन होता है। पुलिस अपने राज्य में अपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों से निपटती है और अपराधियों को सजा दिलाती है। आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य अनेक सुरक्षा बलों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

1. राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आर.पी.एफ.) रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करते हुए ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर अपराधों की रोकथाम करते हैं।
2. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) आवश्यकता के समय उपद्रव ग्रस्त क्षेत्रों में राज्य की पुलिस की सहायता करता है।

3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) देश के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करता है।
4. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एस.पी.जी.) राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.वी. आई.पी.) की सुरक्षा में लगा रहता है।

देश की सुरक्षा हेतु नागरिकों के कर्त्तव्य–

देश की सुरक्षा की जितनी जिम्मेदारी सेना की है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की भी है। देश की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य का पालन करने के लिए हमें–

1. युवाओं को सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. देश का कोई भी गोपनीय दस्तावेज या सूचना विदेशियों को न दें। जासूसी जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए।
3. जब हमारे सैनिक मोर्चे पर लड़ रहे हों, तो उन्हें समय पर खाद्य सामग्री, दवाईयाँ तथा आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करानी चाहिए और सेना का मनोबल बनाए रखना चाहिए।
4. युद्ध के अवसर पर जनता का हौसला किसी भी प्रकार से कम ना होने दें।
5. सेना और प्रशासन की पूरी मदद करें और उनके निर्देशों का पालन करें।
6. नागरिक सुरक्षा व्यवस्था, जैसे– ब्लैक आऊट, प्राथमिक उपचार, अग्निशमन आदि में प्रशासन का सहयोग करें।
7. आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी तथा अनावश्यक रूप से संग्रह न करें। इस प्रकार का काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचित करें।

हमें तन–मन–धन से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।

शब्दावली

शांति काल – वह काल जब सेना युद्धरत न हो।

शांति सेना – दो युद्धरत देशों को युद्ध से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निगरानी रखने वाली अन्य देशों की सेना।

ब्लैक आऊट – युद्ध के दौरान प्रशासन एवं नागरिकों द्वारा कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और घरों में अंधेरा रखना।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) देश के निर्माण के लिए आवश्यक है –

(अ) सरकार (ब) भूमि

(स) जनसंख्या (द) उपर्युक्त सभी ( )

(ii) 'अग्नि' नामक हथियार है –

(अ) टेंक (ब) लड़ाकू विमान

(स) विमान वाहक पोत (द) प्रक्षेपास्त्र ( )

(iii) सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं–

(अ) प्रादेशिक सेना से (ब) अर्द्धसैनिक बल से

(स) स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से (द) एन.सी.सी.से ( )

2. स्तम्भ 'अ' को स्तम्भ 'ब' से सुमेलित कीजिए–

	स्तम्भ 'अ'	स्तम्भ 'ब'
i.	राजकीय रेलवे पुलिस	औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा
ii.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा
iii.	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल	ट्रेन व रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा
iv.	स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप	उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में राज्य पुलिस की सहायता

3. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें–

i- भारतीय.....सेना आकाशीय सीमाओं की निगरानी रखती है।

ii- भारत का ..... तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।

iii- प्रथम परमवीर चक्र.....को प्रदान किया गया।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखतः कौनसे दो भागों में विभाजित है ?

5. भारतीय सेना के तीन अंग कौन–कौन से हैं ?

6. थल सीमा की निगरानी कौन सा बल रखता है ?

7. उत्तर पूर्व के पर्वतीय इलाकों में सीमाओं की निगरानी कौन सा बल करता है ?

8. जल सीमा की निगरानी कौनसा बल रखता है ?

9. देश की सुरक्षा हेतु नागरिकों के कम से कम पाँच कर्त्तव्य लिखिए।